पीयूष ग्रुप का घोटाला भी बाहर आया

फ़रीदाबाद (म.मो.) धोखाधड़ी के आरोप में फरीदाबाद पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा गिरफ्तार किए गए पीयूष ग्रुप के दो निदेशकों - अमित गोयल व पुनीत गोयल को 19 जून 2018 मंगलवार को फरीदाबाद के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश विरेन्द्र प्रशाद की अदालत में पेश किया गया। न्यायाधीश ने आरोपियों को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।

उल्लेखनीय है कि इस केस मे आरोपी निदेशको ने अपनी जमानत के लिए अप्रैल 2018 में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्री वाई. एस. राठोर की अदालत में जमानत याचिका प्रस्तुत की थी जो कि 27 अप्रैल को खारिज कर दी गयी थी। उसके उपरान्त आरोपियों ने पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायलय में पुनः जमानत याचिका प्रस्तुत की जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने 30 मई 2018 को निरस्त कर दिया और अपने आदेश में यहाँ तक लिखा कि न्यायालय को प्रथम दृष्टि में उक्त मामला करोडो रुपयों का घोटाला प्रतीत होता है, अत: जाँच एजेंसी अगर आरोपियों से जाँच करना उचित समझती है तो आरोपियों को गिरफ्तार करके उनकी जाँच करना आवश्यक है।

केस में मुख्य शिकायतकर्ता मधुर गुप्ता ने बताया कि उसने दिनांक 6 अप्रैल 2018 को उसने फरीदाबाद पुलिस को एक शिकायत दी थी जिसमे उसने पियूष ग्रुप और उसके मालिकों व परिवार के सदस्यों अनिल गोयल, अमित गोयल, पुनीत गोयल आदि के विरुद्ध लगभग 45 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. उक्त 45 करोड़ रूपए की राशि में लगभग 300 निवेशको द्वारा उक्त पीयूष ग्रुप के पास जमा की गयी राशि का पूरा ब्यौरा दिया गया था।

पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने अपनी जाँच के दौरान पाया कि उक्त आरोपियों ने लगभग 12,700 चैक विभिन्न निवेशको को भिन्न भिन्न तारीखों के जारी कर दिए, जो अब बैंक से बिना भुगतान के लगातार वापिस हो रहे हैं। साथ ही पुलिस ने एक पैन ड्राइव भी बरामद की है जिस में विभिन्न निवेशकों से प्राप्त लगभग 1,500 करोड़ की नगद राशि का उल्लेख है। पुलिस को आरम्भिक पूछताछ में ऐसी लगभग 100 सम्पतियों के दस्तावेज प्राप्त हुए है जिसमें आरोपियों ने इनके फर्जी होने का आरोप स्वीकार किया है।

पीयूष ग्रुप की कम्पनी का एक प्रोजेक्ट पीयूष एपिटन के नाम से पलवल में चालू हुआ जिसको कि विभिन्न व्यक्तियों को बेच दिया गया, जबकि जमीनी स्तर पर कोई भी कार्य उसको बनाने के लिए नहीं किया गया. इसके अलावा इस जमीन को 140 करोड़ रुपए में LIC HOUSING FINANCE के पास बतौर गिरवी रख दिया गया और वहां से प्राप्त राशि को SRS REAL ESTATE LIMITED को हस्तांतरित कर दिया गया. यह कार्य मार्च - अप्रैल 2016 में किया गया।

मधुर गुप्ता ने बतया कि पीयूष इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड में जो शेयर धारक है उन में 92.30 प्रतिशत अनिल गोयल, 3.85 प्रतिशत अमित गोयल और 3.85 प्रतिशत मधु गोयल के नाम से हैं। इस प्रकार से कम्पनी के 100 प्रतिशत शेयर गोयल परिवार के ही पास हैं, किन्तु अपनी जालसाजी को अंजाम देने के लिए और उसके परिणाम भुगतने के लिए उन्होंने अपने एक रिश्तेदार मनोज को अपनी कंपनी में नौकरी देकर चैकों को साइन करने के लिए अधिकृत कर दिया और लोगों का मुँह बंद रखने के उद्देश्य से जो चैक जारी किये गए उन पर खुद हस्ताक्षर न करके उसी मनोज के द्वारा हस्ताक्षर कराये गए।

मधुर गुप्ता के अनुसार, पीयूष ग्रुप के मालिकों ने अपनी 18 कंपनियो के माध्यम से कई हजार करोड़ का नगद लेनदेन किया है, कम्पनी के 2006 से चल रहे लगभग एक दर्जन प्रोजेक्टों में से एक भी प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया गया है और हजारों निवेशको की हजारों करोड़ रूपए की गाढ़ी कमाई इन प्रोजेक्टों में फंसी हुई है। मधुर गुप्ता ने फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त अमिताभ ढिल्लों और उनके मातहत अधिकारियों विशेष रूप से आर्थिक अपराध शाखा के इंचार्ज प्रदीप सिंह डांगी और जाँच अधिकारी मेनपाल सिंह एवं अन्य अधिकारियों के कार्य एवं उनके द्वारा रात रात भर की जा रही मेहनत की प्रशंसा भी की। साथ ही अन्य पीड़ित निवेशकों का भी आह्वान किया कि वे निडर होकर अपनी शिकायत पुलिस में दर्ज करायें एवं धोखा धड़ी में संलिप्त लोगों का पर्दाफाश करने में पुलिस एवम प्रशासन का सहयोग करें।

मधुर गुप्ता के अनुसार पीयूष ग्रुप के विरुद्ध आर्थिक अपराध शाखा, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली में भी अभी हाल ही में लगभग 50 शिकायतें दर्ज की गयी है, जिनकी जाँच चल रही है।

रेरा के बावजूद बिल्डरों की गुंडागर्दी जारी

अपने घर में रहने का सपना संजोए आम आदमी को बिल्डरों की ठगी, हेराफेरी और बांह मरोड़ कर लठैतों की तरह लोगों की जेबों से मनमाने पैसों की उगाही से कुछ राहत मिले इसीलिए केंद्र सरकार ने सन 2016 में Real Estate (Regulation and Development) Act 2016, रेरा, पास किया। ये भी एक वजह रही होगी की यदि ऐसा ना किया गया तो कहीं आम आदमी का भरोसा ही निगम से न उठ जाए। लोगों का भरोसा उठ जाना और लोगों के किसी दूसरे स्थाई विकल्प में लग जाने की आशंका हुक्मरानों की नींद उड़ा देती है। हरियाणा सरकार ने भी अनमने ढंग से ही सही 9 फरवरी 2018 को राज्य भर में हरियाणा गजट में सुधार कर हरेरा लागू किया। जिसका मुख्यालय लेकिन पंचकुला में रखा गया। दक्षिण हरियाणा के लोगों को पंचकुला में किसी भी काम से जाना सबसे असुविधाजनक है। बिल्डर के तो वकील वहां तारीख पर हाजिर हो जाते हैं, आम आदमी क्या करे?

हरेरा में कुल शिकायतों का लगभग 80 प्रतिशत फरीदाबाद और गुडगांव की हैं। गुडगांव के लोगों ने प्रशासन पर दबाव बनाकर हरेरा की एक शाखा गुडगांव में शुरू करा ली लेकिन फरीदाबाद और पलवल के लोग अभी भी पंचकुला में हर तारीख को 2 दिन बरबाद करने को विवश किए जा रहे हैं। सरकारी प्रशासन का ये एकदम तुगलकी तरीका है. गुडगांव की तरह हरेरा का एक दफ्तर फरीदाबाद में तत्काल शुरू किया जाना जरूरी है जिसमें फरीदाबाद और पलवल जिलों के बिल्डरों के सताए लोग अपनी शिकायतों को नए सिरे से रजिस्टर कर सकें बल्कि न्याय पाने के लिए पैरवी भी कर सकें। यदि प्रशासन को फरीदाबाद में हरेरा का दफ्तर खोलना मंजूर नहीं तो फरीदाबाद को गुडगांव शाखा से ही जोड़ दें।

चंदा कोचर पर हाथ डालने की औक़ात नहीं

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ रविन्द्र मराठे को गिरफ्तार कर लिया गया है। आर्थिक अपराध शाखा का आरोप है कि बैंक के गिरफ्तार किए गए अधिकारियों की मिलीभगत कर्ज लेने वाली कंपनी के साथ थी जिसके चलते एक बिल्डर को 3000 करोड़ जैसी बड़ी रकम बतौर कर्ज आसानी से दे दी गई।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक सरकारी बैंक है तो अधिकारियों की आसानी से सीएमडी पर

हाथ डालने की हिम्मत पड़ गयी लेकिन इस से ही मिलते जुलते केस में आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चन्दा कोचर आज भी अपने पद पर बनी हुई है। उस पर भी 2012 में वीडियोकॉन जैसी कम्पनी को 3250 करोड़ रुपये का लोन देने का आरोप है।

इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी ख़बर मे इस घोटाले का पूरा कच्चा चिट्ठा छापा ओर बताया कि किस तरह से उनके पति और जेठ के संबंध वीडियोकॉन से रहे हैं। कुल मिलाकर 20 बैंको के कंसोर्टियम ने वीडियोकॉन को 40 हजार करोड़ का लोन दिया था जो आज पूरी तरह से डूब गया है।

आईसीआईसीआई बैंक की बेशर्मी का आप अंदाजा लगाइए कि जब इंडियन एक्सप्रेस समूह ने आईसीआईसीआई बैंक से इस घटना के सम्बंध में उनका पक्ष जानने के लिए ईमेल किया तो इसके अगले दिन बैंक ने अपना बयान जारी किया, बैंक का बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि किसी तरह का क्विड प्रो, नेपोटिज़्म और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ़ इंटरेस्ट का मामला होने का सवाल ही नहीं उठता और बैंक बोर्ड को अपनी प्रबंध निदेशक और सीईओ चंदा कोचर पर पूरा भरोसा है।

चूँकि आईसीआईसीआई एक विदेशी बैंक है ओर जब यह खबर अमेरिका तक पुहच गयी तो बढ़ते अंतराष्ट्रीय दबाव के कारण बैंक बोर्ड को चन्दा कोचर को लम्बी छुट्टी पर भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा।

अब यह झूठ फैलाया जा रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक ने चन्दा कोचर को अपने पद से हटा दिया है जबकि असलियत यह है कि चन्दा कोचर आज भी अपने पद पर बनी हुई है और बैंक ने चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर नाम का एक नया पद सृजित किया है जिस पर संदीप बख्शी की पांच साल की नियुक्ति की गयी है। मतलब साफ है इस देश मे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीएमडी को गिरफ्तार किया जा सकता है, यूको बैंक के सीएमडी पर कार्यवाही हो सकती है , सिंडिकेट बैंक के सीएमडी को जेल भेजा जा सकता हैं लेकिन आईसीआईसीआई बैंक की चन्दा कोचर को बेदाग़ बरी किया जाता है क्योंकि उसके सम्बन्ध सत्ताधारी दल के मित्र पूंजीपतियों से बहुत घनिष्ठ है।

रुचि सोया में क्यों है ठग गुरू रामदेव और लुटेरे कार्पोरेट अडानी की दिलचस्पी

गिरीश मालवीय

कर्ज में डूबी हुई रुचि सोया के अधग्रिहण के लिए बाबा रामदेव ने 5700 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी, लेकिन अडानी ने उसे पीछे छोड़ते हुए 6000 करोड़ की बोली लगा दी है।

आखिकार रूचि सोया में ऐसा क्या विशेष है जो अडानी उसे ज्यादा कीमत देकर भी खरीदने के लिए उत्सुक नजर आ रहा है, देश का व्यापार उद्योग मूल रूप से बंदरगाहों पर डिपेंड होता है ओर देश के सभी प्रमुख निजी बंदरगाह अडानी के कब्जे में है, रुचि सोया के देशभर में करीब 13 से 14 रिफाइनिंग संयंत्र हैं, जिनमें से 5 बंदरगाहों पर हैं, रुचि सोया की सालाना रिफाइनिंग क्षमता 33 लाख टन है खाद्य तेल उद्योग के एक अधिकारी बताते हैं कि बंदरगाहों पर संयंत्र होना बहुत अहम होता है बंदरगाहों पर रिफाइनिंग संयंत्र होने से कंपनियों के लिए आयातित खाद्य तेल को रिफाइन करना आसान हो जाता है। देश में 70 फीसदी खाद्य तेल का आयात होता है। इसलिए अगर बंदरगाहों पर पहले से चालू इकाइयां मौजूद हैं तो अन्य कंपनियां इसे अधिग्रहीत करने की कोशिश करेंगी, यानी इस लिहाज से भी यह सौदा अडानी के फायदे का ही है।

अडानी ने कुछ सालों पहले सिंगापुर की 'विल्मर कम्पनी' के साथ मिलकर एक संयुक्त उपक्रम गठित किया था अब यह खाद्य तेल में इंडिया का नंबर वन ब्रांड हो गया है यदि यह रूचि सोया को हासिल कर लेता है तो ईडिबल ऑयल में इसका एकाधिकार हो जाएगा।

लेकिन बात सिर्फ खाद्य तेल की इंडस्ट्री पर एकाधिकार की नही है पिछले दिनों खबर आयी कि ईरान की सबसे बड़ी चावल कंपनी मोहसिन को अडानी ग्रुप ने वहां की शिरिनसाल कंपनी संग मिलकर 550 लाख डॉलर में खरीद लिया है, मोहसिन कंपनी भारत का सबसे ज्यादा बासमती चावल खरीदती थी वही भारत के चावल निर्यातकों का मोहसिन कंपनी पर करोड़ो बकाया हैं अकेले उत्तर प्रदेश से ही 40 हजार करोड़ से अधिक का चावल निर्यात होता है। इसमें से ज्यादातर बासमती चावल ईरान जाता है। इस सौदे के बाद अडानी ग्रुप देश में ही खरीद कर चावल का निर्यात करेगा, ईरान में अडानी चाबहार पोर्ट के निर्माण में रुचि दिखा रहा है, ईरान एक वर्ष में भारत से लगभग 10 लाख टन चावल खरीदता है। इसमें मोहसिन की हिस्सेदारी 30-35 फीसद है।

यानी यहाँ से भी दोहरा फायदा .....लेकिन कहानी अभी यहाँ खत्म नही होती अडानी विल्मर के संयुक्त उपक्रम का मुख्य उद्देश्य दलहन पैदा करने वाले राज्यों के किसानों से दलहन खरीदकर बाज़ार में बेचना था हालांकि इस खेल में उसे शुरुआत में परेशानियों का सामना करना पड़ा पर मोदी सरकार के आते ही उसने मोदी जी पर अपने प्रभाव का उपयोग करके एक सरकारी आदेश जारी करवाया। इस आदेश में तीन प्रकार के दलहनों यानी अरहर, मूँग और उरद के प्रचुर संचयन और भंडारण संबंधी अत्यधिक सीमा के नियमों को हटा दिया गया। इसके बाद इस उपक्रम ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों के अलावा दलहन को केन्या तन्ज़ानिया और मोजाम्बिक जैसे अफ्रीकी मुल्कों से 55 रू प्रति किलो की बेहद कम कीमतों पर खरीदकर 1000 करोड़ किलो से अधिक दलहन का भंडारण शुरू कर दिया। इस दलहन को बाज़ार में 220 रुपये प्रति किलो तक पर बेचा जाने लगा। इससे डेढ़ लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मुनाफ़ा पीटा गया।

कुल मिलाकर दाल चावल और तेल, इसके अलावा भारत के पावर सेक्टर में भी एकाधिकार, यानी जब चाहेंगे दाम बढ़ा कर अच्छा खासा मुनाफ़ा निकाल लेंगे। अडानी ओर अम्बानी की कम्पनियां नए जमाने की ईस्ट इंडिया कम्पनी साबित होगी।

नोटबन्दी ही सबसे बड़ा घोटाला था जो हमारी आंखों के सामने हुआ और हम उसे समझ ही नही पाए

गिरीश मालवीय

किस तरह से यह घोटाला किया गया अब इसकी परते खुलना शुरू हुई है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) के जरिए मांगी गई जानकारी से पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जिस बैंक (एडीसीबी) के निदेशक रहे हैं वह नोटबंदी के दौरान सबसे ज्यादा प्रतिबंधित 500 और 1000 रुपये के नोट जमा करने वाला जिला सहकारी बैंक है। अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक (एडीसीबी) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी की घोषणा करने के महज पांच दिन के भीतर 745.59 करोड़ रुपये मूल्य के प्रतिबंधित नोट प्राप्त किए थे।

आपको याद होगा कि 8 नवम्बर 2016 को जब नोटबन्दी की घोषणा की गयी तो पांच दिन तक यानी 14 नवंबर 2016 तक जिला सहकारी बैंकों को लोगों से प्रतिबंधित नोट जमा करने की छूट दी गयी। ऐसा जानबूझकर कर किया गया था ताकि बड़े भाजपा के नेताओ के जरिए काला धन रखने वाले नेता और अधिकारी अपना काला धन इन छोटे सहकारी बैंकों में जमा करवा कर उसे सफेद कर सके।

हिंदुस्तान टाइम्स अखबार द्वारा की गई एक जांच में यह पाया गया कि पूरे देश के 285 जिला कोऑपरेटिव बैंकों में 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा के एक सप्ताह के अंदर ही उनकी नकद जमा में 6 गुना तक वृद्धि हुई थी।

लेकिन असली खेल तो गुजरात के जिला सहकारी बैंकों में खेला गया जहाँ बड़े पैमाने पर मोदी समर्थक नेता अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जैसे उच्च पदों पर आसीन थे। जैसे अमरेली जिला मध्यस्थ सहकारी बैंक लिमिटेड, इस बैंक की नकद जमा में 200 गुना के लगभग वृद्धि इस अवधि में दर्ज की गई। इस बैंक के चेयरमैन गुजरात के एक कद्दावर भाजपा नेता दिलीपभाई संघानी थे जो उस वक्त की गुजरात सरकार में कैबिनेट मंत्री थे।

इस कोऑपरेटिव बैंक में सात नवंबर को 1.3 करोड़ की नकदी थी। लेकिन अगले चार दिन के अंदर ही यह जमा राशि लगभग 200 गुना बढ़कर 209.15 करोड़ हो गई जबकि पिछली पूरी तिमाही में बैंक में सबसे अधिक जमा राशि का स्तर कभी 6.2 करोड़ से अधिक नही रहा था।

अमित शाह के अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक में महज पांच दिन के भीतर 745.59 करोड़ रुपये मूल्य के प्रतिबंधित नोट का जमा होना दिखाता है अंदर ही अंदर कितना गहरा खेल किया गया था।

अहमदाबाद बैंक के बाद सबसे ज्यादा प्रतिबंधित नोट जमा करने वाला सहकारी बैंक राजकोट जिला सहकारी बैंक है जिसके अध्यक्ष गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की सरकार में कैबिनेट मंत्री जयेशभाई विट्ठलभाई रडाडिया हैं। इस बैंक ने 693.19 करोड़ रुपये मूल्य के प्रतिबंधित नोट जमा लिए थे।

अब सबसे कमाल की बात समझिए कि अमरेली, अहमदाबाद और राजकोट के जिला सहकारी बैंकों द्वारा जमा प्राप्ति का यह आंकड़ा गुजरात राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा जमा प्राप्त रकम 1.11 करोड़ रुपये से बहुत ज्यादा है। अमित शाह का राजनीतिक कैरियर गुजरात के सहकारी आंदोलन पर कांग्रेस की पकड़ को तोड़ने से ही आगे बढ़ा था।

सन 2010 में जब अमित शाह को एशिया के सबसे बड़ा सहकारी बैंक कहे जाने वाले अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक का अध्यक्ष बनाया गया तो बैंक के हालात काफी ख़राब थे। 36 करोड़ के घाटे का सामना करते हुए बैंक बंद होने के कगार पर था लेकिन अमित शाह के अध्यक्ष बनते ही यह बैंक लाभ दर्शाने लगा, इसी बैंक के चेयरमैन अजय पटेल का नाम सोहराबुद्दी एनकाउंटर मामले में भी आया था।

इसी बैंक के पूर्व निदेशक यशपाल चूडास्मा ने अमित शाह के बेटे जय शाह की कम्पनी 60 प्रतिशत हिस्सेदारी वाली कम्पनी कुसुम फिनसर्व के पक्ष में अपनी संपत्ति गिरवी रखी थी जिससे जय शाह को ऐसे ही सहकारी बैंक कालूपुर कॉमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक से 25 करोड़ के लेटर ऑफ़ क्रेडिट के सहारे करोडों रुपये के वारे न्यारे करने में मदद मिली हैं।

मोदी सरकार सिर्फ इन जिला सहकारी बैंको के मुख्यालय शाखा पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की ही जांच कर ले तो ही इस घोटाले का भंडाफोड़ हो सकता है लेकिन हमें यकीन है कि ऐसा कभी किया नही जाएगा।